न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 66 / 2022(2022 / 222)

1. राजकुमार मेघवंशी पुत्र श्री धन्नालाल मेघवाल जाति मेघवंशी (बलाई) निवासी हरि कॉलोनी कोटा रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री हेमन्त जैन
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 31.5.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
285–379	33 38 39 41 42	0.24 1.85 0.13 0.16 0.15	बारानी 3 बारानी 2 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
	कुल किता 5	रकबा 2.53हैक्टर	
18–358	36 37	1.43 1.10	बारानी 3 बारानी 2
	कुल किता 2	कुल रकबा 2.53	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के ही कब्जे, काश्त एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी ही उक्त आराजीयात का खातेदार कृषक है प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये है। प्रार्थी की आराजीयात के समीप ही चारागाह भूमि है जिस कारण ग्राम वासियों से काश्त के समय छोटी–छोटी बातों पर लड़ाई झगडे होते हैं। तथा अप्रार्थी येनकेन प्रकार से प्रार्थी को उसकी आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू रहते है। वर्तमान में भी मौके पर आराजीयात के स्थायी सीमा चिन्ह नही है आराजीयात के लगवा चरागाह भूमि होने से ग्रामवासियों की नीयत प्रार्थी की आराजीयात के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की है तथा इस कारण वे लडाई झगडा कर आराजीयात से बेदखल करने पर आमदा है जिस कारण मजबूर होकर प्रार्थी को यह पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिससे मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम किये जा सके। प्रार्थी दिनांक 25.4.2022 को आराजी की देखभाल करने हेतु मौके पर गया तो सीमा चिन्ह नहीं होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में भी काश्त करने दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने व स्थाई पत्थरगढ़ी पक्षकारान की उपस्थित मे करने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 285–379 के कुल किता 5, कुल रकबा 2.53हैक्टर तथा खाता संख्या 18–358 के कुल किता 2 के कुल रकबा 2.53हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner